पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2011 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–25

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	253–269	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विमिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	131–137	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विमिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	29–33	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

समाज कल्याण अनुभाग–01

अधिसूचना

विविध

26 अप्रैल, 2011 ई0

संख्या 255/XVII–1/2011–2अ(09)/2007–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

"उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2011"

भाग–एक–सामान्य

१–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2011" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

२–सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा एक राज्य और अधीनस्थ राजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह–'क' और 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

३–परिभाषाऐं–

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क) किसी पद के सम्बन्ध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से परिशिष्ट–'क' में प्रत्येक पद के सामने इस रूप से उल्लिखित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(ग) 'आयोग' से "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार" अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ङ) 'निदेशक' से "निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड" अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार' से "उत्तराखण्ड की राज्य सरकार" अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से "उत्तराखण्ड के राज्यपाल" अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(झ) 'सेवा' से "उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा" अभिप्रेत है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्त न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(2) जब तक कि उप नियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट 'क' में दी गई है।

परन्तु उपबन्ध यह है कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे इस प्रकार आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।

भाग–तीन–भर्ती

5–भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती परिशिष्ट–'क' में उल्लिखित स्रोतों से की जाएगी।

6–आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग–चार–'अर्हताएं'

7–राष्ट्रीयता–

सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, पूर्ववर्ती सीलोन, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और सुयंक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रर्वजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से भी अपेक्षा की जाएगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी की जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

8–शैक्षिक अर्हताएं–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट–'क' में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हों।

9–आयु–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

10–चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में स्वयं समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्ध–दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नही होंगे।

11–वैवाहिक प्रास्थिति–

पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो; सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र न होगी :

परन्तु सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

12–शारीरिक स्वस्थता–

किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे राजपत्रित पद या सेवा के मामले में आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

भाग–पांच–'भर्ती प्रक्रिया'

13–रिक्तियों की अवधारणा–

नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

14–प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन–पत्र आयोग विहित प्रपत्र में मंगाएगा। आवेदन–पत्र मुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किए जा सकेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीकरण के पश्चात् आयोग द्वारा नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिन्होंने इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किए हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा

साक्षात्कार में प्राप्त अंक उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जाएंगे।

(4) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों द्वारा प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनाएगा और नियुक्ति के लिए उतने अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

15–साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) जब आयोग के माध्यम से साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की जानी हो तो चयन के विचारार्थ आवेदन–पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन–पत्र भुगतान कर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकेंगे।

(2) आयोग, नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उतने अभ्यर्थियों को, जिन्हें उचित समझे और अपेक्षित अर्हताएं पूरी करते हों, साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

(3) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी प्रवीणता क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो आयोग उनके नाम सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता के क्रम में रखेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

16–आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003" के अनुसार की जाएगी :

परन्तु जहां दो भिन्न–भिन्न पोषक संवर्ग हो जिनके–

(क) वेतनमान भिन्न हैं, वहां उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के क्रम में अभ्यर्थी को पात्रता सूची में उच्चत्तर स्थान पर रखा जायेगा;

(ख) वेतनमान समान है, वहां अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जाएंगे।

17–चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

(1) परिशिष्ट–'क' में क्रमांक 1 और 2 पर उल्लिखित पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे–

(1) सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन;

(2) सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन या उनके द्वारा नामित एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के निम्न स्तर के न हों;

(3) निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।

ज्येष्ठ सचिव चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची या सूचियां "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003" के अनुसार तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र–पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाएं, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु जहां भिन्न–भिन्न पोषक संवर्ग हों जिनके–

(क) वेतनमान भिन्न हैं, वहां उच्चत्तर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थी को पात्रता सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(ख) वेतनमान समान हैं, वहां अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति की दिनांक के क्रम में पात्रता सूची में रखे जाएंगे।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों के साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की एक सूची उस ज्येष्ठता क्रम में जैसी कि उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाना है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

18—संयुक्त चयन सूची—

यदि भर्ती के किसी वर्ष नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाएगी। जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार से लिए जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे, सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग—छः—'नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता'

19—नियुक्ति—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम 14, 15, 16, 17 या 18 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में आए हों।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जाएंगी, जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाए और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाए।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा। जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाए, ज्येष्ठता क्रम में किया जाएगा। यदि नियुक्तियां सीधी और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाएं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट क्रम में रखे जाएंगे।

20—परिवीक्षा—

(1) सेवा में किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे, अलग—अलग मामले में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायी जाए :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी अवधि या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है जिसका कार्य एवं आचरण असंतोषजनक है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवाएं समाप्त की जाएं, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप से निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21—स्थायीकरण—

(1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषप्रद बताया जाय; और

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए।

(2) यदि "उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2003" के अन्तर्गत स्थायीकरण आवश्यक न हो तो उक्त नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन जारी किया यह आदेश कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जाएगा।

22—ज्येष्ठता—

किसी भी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय—समय पर यथासंशोधित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

भाग—सात—'वेतन इत्यादि'

23—वेतनमान—

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा कि सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाए।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट—'ख' में दिए गए हैं।

24—परिवीक्षा अवधि में वेतन—

(1) मूल नियमों के किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और जहां विहित हो, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि असन्तोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि असंतोषजनक कार्य और आचरण के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए जो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य—कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग—आठ—'अन्य उपबन्ध'

25—पक्ष समर्थन—

सेवा या पद के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

26—अन्य विषयों का विनियमन—

उन विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्यों के कार्य—कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

27—सेवा की शर्तों में शिथिलता—

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और शर्तों

के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और सम्पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है :

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

28–व्यावृत्ति–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनकी इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

[नियम–3(क), 4(2), 5, 8, 9 और 17 देखिए]

पदनाम	पदों की संख्या			नियुक्ति प्राधिकारी	भर्ती का स्रोत और पदोन्नति का मानदण्ड	शैक्षिक अर्हता	आयु सीमा
	स्थायी	अस्थायी	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. संयुक्त निदेशक	1	–	1	राज्यपाल	मौलिक रूप से नियुक्त उप परियोजना निदेशक में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 17 में विहित रीति से चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।	–	–
2. उप परियोजना निदेशक	2	–	2	राज्यपाल	ऐसे स्थायी परियोजना अधिकारी में से, नियम 17 में विहित रीति से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	–	–
3. परियोजना अधिकारी	–	2	2	राज्यपाल	50 प्रतिशत नियम 15 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत स्थायी रूप से नियुक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के प्रधानाचार्यों में से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर।	सीधी भर्ती के लिए (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, या (2) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, या (3) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्व–विद्यालय से एक वैकल्पिक विषय के रूप में मानवशास्त्र या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या किसी सामाजिक विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि।	सीधी भर्ती के लिये 21–35 वर्ष

1	2	3	4	5	6	7	8
						अधिमानी (1) मानवशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि; (2) जनजाति कार्य का अनुभव।	
4. प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	2	10	12	राज्यपाल	50 प्रतिशत नियम 15 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत स्थायी रूप से नियुक्त राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के अधीक्षकों में से, नियम 16 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	1. (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय, या (दो) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, या (तीन) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की स्नतकोत्तर उपाधि; 2. बी.एड या एल.टी. 3. राजकीय हाईस्कूल या राजकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट विद्यालय में कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव।	सीधी भर्ती के लिये 21–35 वर्ष
5. अधीक्षक (राजपत्रित), राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय	12	4	16	राज्यपाल	25 प्रतिशत नियम 15 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा और 75 प्रतिशत विभाग के स्थायी रूप नियुक्त एल.टी. ग्रेड अध्यापकों और मनोवैज्ञानिकों में से, नियम 16 में विहित रीति से आयोग के माध्यम से निम्नलिखित अनुपात में पदोन्नति द्वारा– (1) एल.टी.ग्रेड अध्यापक — 50 प्रतिशत (2) मनोवैज्ञानिक — 25 प्रतिशत 75	1. (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय, या (दो) विश्वविद्यालय से भिन्न किसी ऐसी संस्था, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गयी हो या घोषित किया गया हो, या (तीन) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय की स्नतकोत्तर उपाधि; 2. बी.एड या एल.टी.	सीधी भर्ती के लिये 21–35 वर्ष

परिशिष्ट–'ख'

[नियम–22(2) देखिए]

उत्तराखण्ड जनजाति कल्याण विभाग में राजपत्रित अधिकारियों का वर्तमान वेतनमान

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रुपये में)
1	संयुक्त निदेशक	पे बैंड–3, 15,600–39,100 + ग्रेड वेतन 7,600
2	उप परियोजना निदेशक	पे बैंड–3, 15,600–39,100 + ग्रेड वेतन 6,600
3	परियोजना अधिकारी	पे बैंड–3, 15,600–39,100 + ग्रेड वेतन 5,400
4	प्रधानाचार्य	पे बैंड–2, 9,300–34,800 + ग्रेड वेतन 4,800
5	अधीक्षक राजपत्रित	पे बैंड–2, 9,300–34,800 + ग्रेड वेतन 4,200

आज्ञा से,

एम0एच0 खान,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 255/XVII-1/2011-2A(09)/2007,** dated April 26, 2011 for general information :

NOTIFICATION

General

April 26, 2011

No. 255/XVII-1/2011-2A(09)/2007--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in supersension of all existing Rules and Regulations on the subject, the Governor of Uttarakhand is pleased to make the following rules, regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Tribal Development Department Gazetted Officers Services.

"Uttarakhand Tribal Welfare Gazetted Officers Service Rules, 2011"

Part-1-General

1. Short title and commencement--

(1) These rules may be called the "Uttarakhand Tribal Welfare Gazetted Officers Service Rules, 2011".

(2) These Rules shall come into force with immediate effect.

2. Status of the Service--

The Uttarakhand Tribal Welfare Gazetted Officers Service is a State Gazetted Officer Service comprising of Group 'A' and 'B' posts.

3. Definitions--

These rules, unless anything contrary or repugnant to the subject or context shall mean :

(a) In relation to any post 'Appointing Authority' will mean the Authority as shown against each post in Appendix 'A';

(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) 'Commission' will mean the "Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar";

(d) 'Constitution' means the 'Constitution of India';

(e) 'Director' means the "Director Tribal Welfare, Uttarakhand"

(f) 'Government' means the "State Government of Uttarakhand";

(g) 'Governor' means the "Governor of Uttarakhand";

(h) 'Member of Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the Cadre of the Service;

(i) 'Service' means "Uttarakhand Tribal Welfare Gazetted Officers Service";

(j) 'Substantive Appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre in the service made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions by the Government;

(k) 'Year of Recruitment' means period of 12 months commencing from the 1st day of July of a Calendar Year.

Part-2--Cadre

4. Cadre of Service--

(1) The strength of members in Service and number of posts in each category thereof shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The number of members and of each category of post therein shall be such as may be determined by the Government until ordered to be changed under Sub-rule (1) :

Provided that--

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant posts, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) The Governor may create such additional, permanent and temporary posts as he may consider proper.

Part-3--Recruitment

5. Source of Recruitment--

Recruitment in the various category of posts shall be made from the sources as mentioned in Appendix 1-A.

6. Reservation--

Reservation for the candidates belonging to the SC, ST & other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part-4--Qualifications

7. Nationality--

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be :

(a) A citizen of India; or earlier

(b) a Tibetan refugee who came over to India before Ist Jan., 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania-(formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided that if a candidae belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acqiring Indian citizenship.

Note--A candidate in whose case, the certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed, subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

8. Academic Qualifications--

A candidates for direct recruitment to the various categories of the post in the service must possess the qualifications as prescribed in Appendix (A) to these rules.

9. Age--

A candidates for direct recruitment must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January 1 to June 30 and on July 1 if the posts are advertised during the period July 1 to December 31 :

Provided that the upper age limit in the case of candidaes belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes & such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

10. Character--

The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Govt. Service. The Appointing Authority shall safisfy itself in this regard.

Note--Persons dismissed by the Union Govt. or a State Govt. or a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Govt. or a State Govt. shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be inteligible.

11. Marital Status--

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate, who has married to a man already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Govt. may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

12. Physical Fitness--

No candidate shall be appointed to a post in the service by direct recruitment unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Beofe a candidate is finally approved for direct recruitment, he shall be required to produce a medical certificate of fitness in accordance with the medical tests held by the Medical Board.

Part-5--Procedure for Recruitment

13. Determination of Vacancies--

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes & Scheduled Tribes and other categories under rule 6 and its information shall be sought through the Commission.

14. Procedure for Direct Recruitment through Competitive Test--

(1) For permission to appear in competitive test applications must be invited in the prescribed format, as advertised by the Commission.

(2) A candidate without a proper Admit Card issued by the Commission shall not be allowed to appear in the test.

(3) The Commission, after getting the result of written test and categorizing the same and determining the proper representation for S.C., S.T. & other categories shall call such number of candidae for interview, which conform with the standard prescribed by the Commission, on the basis of written test The marks obtained by a candidate in interview shall be added to his marks obtained in written test.

(4) The Commission shall prepare a merit list of candidate on the basis of marks and revealed from the aggregate of marks secured by each candidate in written test and interview. If two or more candidates secure equal marks in the aggregate of marks, the name of candidate securing higher marks in written test shall appear on the top in the list. In the list the number of candidates shall be more than the number of vacancies (but not more than 25%) and shall be forwarded to the Appointing Authority by the Commission.

15. Procedure for Direct Recruitment on the basis of interview--

(1) When direct recruitment is to be made through commission on the basis of interview, the applications for selection shall be invited on the prescribed format.

(2) The Commission, keeping in view the proper representation of S.C., S.T. and other categories shall call for interview such number of candidates as may deem proper and who fulfill the requisite qualifications.

(3) The Commission shall prepare a merit list on the basis of marks, as may reveal in the interview. If two or more candidates secure equal marks, their name shall be placed in the merit list on the basis of general suitability. In the list the number of candidates shall be more than the number of vacancies (but not more than 25%) and shall be forwarded to the Appointing Authority by the Commission.

16. Procedure for Recruitment on the basis of Promotion through Commission--

Recruitment on promotion, not considering the unsuitable candidates, shall be made on the basis of seniority under the Uttarakhand Public Service Commission Advisory Selection (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time, but, where there are two different Feeder Cadres and where.

(a) Pay scales vary, the candidate from higher pay-scale cadre shall be kept on top of the merit list.

(b) Pay scales are equal, the names of the candidates shall be placed in the merit on the basis of their seniority in the substantial appointment on the basis of date of their appointment.

17. Procedure for Recruitment by promotion through Selection Committee--

(1) Recruitment by promotion for the post referred in serial 1 and 2 in Appendix-A not considering the unsuitable candidates, shall be made on the basis of seniority through Selection Committee comprising of--

(i) Secretary, Social Development Department, Government of Uttarakhand.

(ii) Secretary Personnel, Uttarakhand Administration Department or a person nominated by him but not below the post of joint secretary.

(iii) Director, Tribal Welfare Department/Senior Secretary will preside as Chairman of Selection Committee.

(2) The Appointing Authority shall prepare the merit list or lists (posts out side the jurisdiction of Public Service Commission) on the basis of Uttarakhand Selection by Promotion Merit List Rules, 2003 and shall submit it before the Selection Committee along with character rolls of the candidates and other relevant records, as may be expedient but where are different Feeder Cadres having--

(a) Varying Pay scales, the candidates from higher pay-scale cadre shall be kept on top of the merit list.

(b) Pay scales are equal, the names of the candidates shall be placed in the merit on the basis of their seniority in the substantial appointments on the basis of date of their appointment.

(3) The Selection Committee shall consider in the matter of candidates on the basis of records as referred in Selection Committee Sub-Rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in orders seniority as was in the cadre from where the candidates have been promoted and shall submit it to the Appointing Authority.

18. Joint Selection List--

Where in any year, the recruitment has been made both by direct recruitment and on promotion basis, in that case, a Joint Selection List shall be prepared comprising of names from the relevant list, so that the prescribed percentage is maintained properly. The list shall contain the first name of the candidate selected by promotion

Part-6--Appointment, Probation, Confirmation & Seniority

19. Appointment--

(1) The Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the list prepared under Rules 14, 15, 16, 17 or 18.

(2) Where in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the soruces and the combined list are prepared in accordance with Rule-18.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall be issued mentioning the names of persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order refereed to in Rule-18.

20. Probation--

(1) A candidate posted in a service or on a permanent post shall be on a probation of two years.

(2) The Appointing Authority in each case may extend the period of probation, specifying the date of probation but specifying the reason thereof :

Provided with the condition that but for exceptional cases the period of probation shall not be extended for one year but not more than two years under any circumstances.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of a probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or his work and conduct is unsatisfactory, he may be reverted to his substantive post, if any and if he does not hold a lien on any posts his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under Sub-Rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. Confirmation--

(1) A candidate posted in a service or on a permanent post shall be on a probation of two years--

(a) His work and conduct has been found satisfactory.

(b) His integrity is certified.

(c) If confirmation is not essential under Uttarakhand Public Servants Confirmation Rules, 2003, the order issued under Sub-Rule (3) of Rule 5 of these rules that the concerned candidate has completed probation period satisfactorily shall be deemed the order of confirmation.

22. Seniority--

The seniority of persons appointed substantially in any category of posts shall be determined under revised Uttarakhand Public Servants Rules, 2002 as amended from time to time.

Part-7--'Pay Etc.'

23. Pay Scale--

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Govt. from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules have been given in Appendix-B

24. Pay during Probation--

(1) Notwithstandings any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has completed

the probation period and is also confirmed. Provided that if the period of probation is extended on account of unsatisfactory work and conduct such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay of a person during probation, who has already been holding a permanent post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules, as may be applicable in matters of Govt. Servants under the State Govt.

Part-8--'Other Provisions'

25. Canvassing--

No recommendations, other than those required under the rules applicable to the post or service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to secure support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

26. Regulations of other matter--

In regard to the matter not specifically covered by these rules or special orders persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to government servants serving in connection with the affairs of State.

27. Relaxation in the conditions of service--

Where the State Govt. is satisfied that the operation of any rule regarding conditions of service of persons to the service causes undue hardship in particular case, it may, notwithstanding any thing contained in the rules applicable in the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions, as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided where a rule has been framed in consultation with the Commission, the concerned body shall be consulted before issue of any relaxation or repeal of such rule.

28. Savings--

Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and special categories in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

[Service rule 4(2), 5, 8, 9 and 22(27) 019]

Designation	No. of Post		Total	Aptg. Auth.	Souce of Recruitment & Criteria of Promotion	Academic Qualification	Age Limit
	Pmt.	Tem.					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Joint Director	01	--	01	Governor	By Promotion-through Selection Committee from among the substantially appointed by Project Director who have rendered Five years service on the 1st day of the year of recruitment in the present post, not considering unsuitable on the basis of seniority under the provision of rule 17		
2. Deputy Project Director	02	--	02	Governor	By Promotion from among those permanent project officer who have rendered two years service on the 1st day of the year of recruitment in the present Post, not considering unsuitable on the basis of seniority under the provision of rule 17 through selection Committee.		

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Project Officer	02	--	02	Governor	50% Under Provision contained in rule 15 through commission by direct recruitment and 50% by promotion through commission from among the permanent principal of Government school running on Ashram Pattern who have rendered five years service on the 1st day of the year of recruitment in the present Post, not considering unsuitable on the basis of seniority.	For Direct recruitment (1) From any lawfully established university in India or (2) Any such Institution other than University, which has been recognized as University by law or declared so be or (3) Bachelor degree in Human Sciences, Economics or Sociology or Psychology or any Social Sci. as optional subject from and foreign University recognized by the Central Govt.	21-35
4. Principal (High School Level)	12	--	12	Governor	50% by direct Recruitment through Commission under the provision contained in rule 15 and 50% under provision or Rule 16 Through Commission from among the permanent superintendents who have rendered five years service on the 1st day of the year of recruitment in the present post, not considering unsuitable on the basis of seniority.	For Direct recruitment 1-(a) From any University established lawfully in India or (b) Any Institution other than University recognize as University under law or declared as such or (c) From any foreign university recognized by Central Govt. 2. B.ed or L.T 3. Five years teaching experience from Govt. High School or Govt added High School or Intermediate	21-35
5. Superintendent (State Gazetted) Govt. Ashram Pattern School	12	4	16	Governor	25% under the provision contained in rule 15 by direct recruitment through commission and 75 Percent from among the permanent L.T. Grade or Psychology Teachers who have rendered five years service on the 1st day of the year of recruitment	Graduation with B.ed or L.T. from any recognized University	21-35

Appendix-B

[See Rule 22(2)]

Present Pay Scale of Gazetted Officers of Uttarakhand Tribal Welfare Department

Sl. No.	Name of Post	Pay Scale
1.	Joint Director	Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay 7,600
2.	Deputy Project Director	Pay Band-3, Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay 6,600
3.	Project Officer	Pay Band-3 Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay 5,400
4.	Principal	Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800 + Grade Pay 4,800
5.	Superintendent (Gazetted)	Pay Band-2, Rs. 9,300-34,800 + Grade Pay 4,200

By Order,

M. H. KHAN,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/275–भाग 1–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2011 ई० (ज्येष्ठ 28, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इं0), प्रथम तल, निकट आई.एस.बी.टी. माजरा, देहरादून

अधिसूचना

दिनांक 03.11.2010

पत्रांक एफ–9(21)/आर.जी./यू.ई.आर.सी./2010/1422–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61, 66, 86(1) (ई) तथा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:

1.0 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होने का विस्तार

1.1 इस विनियम का नाम उविनिआ (नवीकरणीय क्रय दायित्व का अनुपालन) विनियम, 2010, होगा।

1.2 ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

1.3 ये विनियम, इन विनियमों के अधीन संदर्भित विभिन्न सत्ताओं पर समस्त उत्तराखण्ड में लागू होंगे।

2.0 परिभाषाएं तथा निर्वचन

2.1 इस विनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

ए. ''अधिनियम'' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है,

बी. ''कैप्टिव उपयोग कर्ता'' से कैप्टिव उत्पादक सयत्र में उत्पादित विद्युत का अंतिम उपयोगकर्ता अभिप्रेत है तथा 'कैप्टिव उपयोग' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

सी. ''केन्द्रीय अभिकरण'' से समय–समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा अभिहित अभिकरण अभिप्रेत है।

डी. ''केन्द्रीय आयोग'' से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा (1) में सदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है

ई. ''प्रमाण पत्र'' से केन्द्रीय अभिकरण द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रकिया के अनुसार तथा सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन इसके द्वारा जारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र अभिप्रेत है

यह विनियम दिनांक 20.11.2010 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

एफ. ''सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियम'' से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता एवं इसे जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 तथा उसका संशोधन अभिप्रेत है,

जी. ''आयोग'' से, अधिनियम की धारा 82 की उपधारा (1) में संदर्भित अनुसार उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है,

एच. ''योग्य सत्ता'' से सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियमों के अधीन प्रमाण पत्र प्राप्त करने योग्य सत्ता अभिप्रेत है,

आई ''निम्नतम मूल्य'' से समय–समय पर संशोधित सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियमों के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित न्यूनतम मूल्य, जिस या जिस के ऊपर ऊर्जा विनियम में प्रमाण पत्र का लेन देन हो सके, अभिप्रेत है,

जे. ''फौरबेरेन्स प्राइस'' से समय–समय पर संशोधित सी.ई.आर.सी. आर.ई.सी. विनियमों के अनुसार केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित अधिकतम मूल्य, जिसके भीतर ऊर्जा विनियम में लेनदेन हो सके, अभिप्रेत है,

के. ''एम.एन.आर.ई.'' से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, अभिप्रेत है,

एल. ''वचनबद्ध सत्ता'' से राज्य में वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता जो इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व पूरा करने के लिए अधिदेशित है, अभिप्रेत है,

एम. ''उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता'' से अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त उपभोक्ता अभिप्रेत है,

एन. ''ऊर्जा विनियम'' से केन्द्रीय आयोग द्वारा जारी आदेशों के संबंध में ऊर्जा हेतु ऊर्जा विनिमय के रूप में परिचालित कोई विनियम अभिप्रेत है,

ओ. ''अधिमान्य शुल्क'' से वितरण अनुज्ञापी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन से ऊर्जा के क्रय हेतु उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क अभिप्रेत है,

पी. ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत'' से लघु हाइड्रो, पवन, बायोमास, बायोईंधन, सह उत्पादन (खोई आधारित– सह उत्पादन सहित) शहरी व नगरीय अपशिष्ट जैसे नवीकरणीय विद्युत उत्पाद स्रोत तथा ऐसे अन्य स्रोत जो एम.एन.आर.ई. या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित हों, अभिप्रेत हैं।

क्यू. ''नवीकरणीय क्रय बाध्यता'' से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत क्रय करने हेतु वचनबद्ध सत्ता के लिए अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन इस के खण्ड 4 में विनिर्दिष्ट अपेक्षा अभिप्रेत है,

आर. ''राज्य'' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है,

एस. ''राज्य अभिकरण'' से इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अभिहित राज्य में अभिकरण अभिप्रेत है,

टी. ''वर्ष'' से वित्त वर्ष अभिप्रेत है,

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनका वही अर्थ होगा जो क्रमशः अधिनियम में या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य सुसंगत विनियमों में दिया गया हो :

3.0 नवीकरणीय क्रय बाध्यता

3.1 प्रत्येक वचनबद्ध सत्ता, यू.ई.आर.सी. (सह उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति शुल्क तथा अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अवधि में नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से इसकी कुल विद्युत आवश्यकता (के.डब्ल्यू.एच. में) का एक न्यूनतम प्रतिशत क्रय करेगी :

परन्तु, वचनबद्ध सत्ता को केवल सौर्य ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से कुल नवीकरणीय क्रय बाध्यता का विनिर्दिष्ट प्रतिशत क्रय करना होगा:

आगे यह कि नवीकरणीय ऊर्जा क्रय के ऐसे दायित्व में संबंधित वचनबद्ध सत्ता द्वारा पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से किये जा रहे क्रय, यदि कोई हैं, सम्मिलित होंगे:

आगे यह भी कि, वितरण अनुज्ञापी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्रय हेतु पहले से ही किये गये तथा आयोग की सहमति प्राप्त ऊर्जा क्रय करारों के अधीन ऊर्जा क्रय उनकी वर्तमान वैधता तक किया जाना जारी रहेंगे भले ही ऐसे करारों के अधीन कुल क्रय यहां ऊपर विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक हों।

4.0 केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन प्रमाण पत्र

4.1 इन विनियमों में समाविष्ट निबंधनों व शर्तों के अधीन, सी.ई.आर.सी. (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता व इसके जारी किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा क्रय के लिए वचनबद्ध सत्ताओं हेतु इन विनियमों में नियत अनिवार्य दायित्वों के निर्वहन के लिए मान्य प्रपत्र होगा।

परन्तु वचनबद्ध सत्ता द्वारा प्रमाण पत्र के क्रय द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व पूरा करने की स्थिति में, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में सौर्य पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय का दायित्व तथा सौर्य से भिन्न अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय का दायित्व, गैर सौर्य प्रमाण–पत्र के क्रय द्वारा पूरा किया जा सकता है।

4.2 आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों के अधीन, वचनबद्ध सत्ता, इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय दायित्व को पूरा करने के लिए प्रमाण–पत्र के प्रापण के संबंध में केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित सी.ई.आर.सी. (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता तथा इसके जारी किये जाने हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के साथ संगत रूप से कार्य करेगी।

4.3 उपरोक्त 4.1 विनियम में उल्लिखित केन्द्रीय आयोग के विनियम के संबंध में ऊर्जा विनिमय से वचनबद्ध सत्ता द्वारा क्रय किया गया प्रमाण पत्र, केन्द्रीय अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तथा आयोग द्वारा अनुमोदित प्रक्रियानुसार, राज्य अभिकरण द्वारा संरचित विस्तृत प्रक्रिया के अनुरूप राज्य अभिकरण के पास वचनबद्ध सत्ता द्वारा जमा किया जाएगा।

5.0 वचनबद्ध सत्ताएं

5.1 प्रत्येक वचनबद्ध अभिकरण (अर्थात् वितरण अनुज्ञापी, कैप्टिव उपयोगकर्ता तथा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता) 15 मार्च को या उससे पहले वार्षिक आधार पर, आयोग को एक प्रति प्रेषित करते हुए राज्य अभिकरण के आगामी वर्ष हेतु नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय की अनुमानित मात्रा का विवरण जमा करेगा। ऐसे क्रय की अनुमानित मात्रा यू.ई.आर.सी. (सह उत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की आपूर्ति के निबंधन व शर्तें) अधिनियम, 2010 के अनुसार होगी। यदि वचनबद्ध अभिकरण की वास्तविक आवश्यकताएं इसके द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं से भिन्न हों तो नवीकरणीय क्रय मात्रा की वचनबद्धता, उस सीमा तक संशोधित समझी जाएगी। तथापि, नवीकरणीय क्रय दायित्व का प्रतिशत वही रहेगा तथा नवीकरणीय क्रय की संशोधित मात्रा वास्तविक आवश्यकता के संदर्भ में अवधारित की जाएगी।

5.2 सभी वचनबद्ध अभिकरण, राज्य अभिकरण द्वारा रचित प्रक्रिया के अनुसार नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के संबंध में राज्य अभिकरण को तिमाही स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

5.3 सभी वचनबद्ध अभिकरण, उस वर्ष में नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के सबंध में प्रत्येक वर्ष के अंत के एक माह के भीतर आयोग को सूचना के अधीन राज्य अभिकरण के पास विस्तृत विवरण भी जमा करेंगे।

6.0 राज्य अभिकरण तथा इसके कृत्य

6.1 आयोग, केन्द्रीय अभिकरण के साथ पंजीकरण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की संस्तुति तथा प्रत्यायन हेतु तथा इन विनियमों के अधीन निम्नलिखित कृत्यों का जिम्मा लेने के लिए राज्य अभिकरण के रूप में उत्तराखण्ड नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को अभिहित करता है:

i इन विनियमों की अपेक्षा पूर्ण करने के लिए केन्द्रीय अभिकरण द्वारा रचित प्रक्रिया से सुसंगत प्रक्रिया की रचना करना

सी. प्रमाण पत्रों के संबंध में लेखों का रख–रखाव एवं निपटान,

डी. प्रमाण पत्रों में लेन–देन का निधान, तथा

ई. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र क्रियाविधि को लागू करने के लिए प्रासंगिक ऐसे अन्य कृत्य जो कि समय–समय पर आयोग द्वारा सौंपे जाएं।

6.2 राज्य अभिकरण, आयोग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कार्य करेगा तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की मान्यता तथा इसके जारी किये जाने के लिए निबंधन एवं शर्तें) व विनियम, 2010 के अधीन इसके कृत्यों के निष्पादन हेतु केन्द्रीय अभिकरण द्वारा नियत प्रक्रिया तथा नियमों से सुसंगत कार्य करेगा।

6.3 राज्य अभिकरण, वचनबद्ध सत्ताओं द्वारा नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट जमा करने के लिए प्रारूप विकसित करेगा तथा इन विनियमों के जारी होने के तीन माह के भीतर आयोग द्वारा अनुमोदित करवाएगा। राज्य अभिकरण, नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन हेतु, यदि आवश्यक हो, आयोग को उपयुक्त कार्यवाही सुझाएगा।

6.4 आयोग समय–समय पर, इन विनियमों के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु राज्य अभिकरण को देय पारिश्रमिक व प्रभार निर्धारित करेगा।

6.5 यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि राज्य अभिकरण अपने कृत्यों का निष्पादन संतोषजनक ढंग से नहीं कर पा रहा है तो वह एक साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा तथा कारण अभिलिखित कर, जिसे उपयुक्त समझे ऐसे अन्य अभिकरण को राज्य अभिकरण के रूप में अभिहित कर सकता है।

6.6 आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव द्वारा या राज्य अभिकरण के निवेदन पर, जैसा उपयुक्त समझे ऐसे आदेश द्वारा इन विनियमों के परिपालन को सुगम बनाने के लिए एक समन्वय समिति गठित कर सकता है।

7.0 व्यतिक्रम का प्रभाव

7.1 यदि वचनबद्ध सत्ता यू.ई.आर.सी. (सहउत्पादन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत आपूर्ति के निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन उपबंधित रूप में किसी वर्ष की अवधि में नवीकरणीय क्रय दायित्व की अपनी प्रतिबद्धता पूर्ण नहीं करता है तथा कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रमाण पत्र क्रय नहीं करता है तो आयोग वचनबद्ध सत्ता को राज्य में लागू अधिमानी शुल्कों, केन्द्रीय आयोग द्वारा निर्धारित फोरबेरेन्स मूल्य तथा आर.पी.ओ. की यूनिट्स में कमी के आधार पर आयोग द्वारा अवधारित राशि, एक पृथक आर.पी.ओ. निधि में जमा करने का निदेश दे सकता है :

परन्तु वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर इस कमी की सूचना देने का दायित्व राज्य अभिकरण का होगा।

आगे यह कि इस प्रकार रचित निधि, आयोग के निदेशानुसार अथवा प्रमाण पत्र के क्रय हेतु आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही उपयोग में लाई जाएगी।

आगे यह भी कि आयोग, निधि की राशि में से दायित्व पूरा करने में हुई कमी की सीमा तक प्रमाण पत्रों की अपेक्षित सख्या, ऊर्जा विनिमय से प्राप्त करने हेतु, राज्य अभिकरण के किसी अधिकारी को अधिकार दे सकता है।
आगे यह और कि वचनबद्ध सत्ता यदि निदेश के संप्रेषण से 15 दिन के भीतर आयोग द्वारा निदेशित धनराशि जमा करने में विफल रहती है तो यह इन विनियमों के उपबंधों का भंग करना होगा।

7.2 जहां कोई वचनबद्ध सत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों से ऊर्जा के अपेक्षित प्रतिशत के क्रय दायित्व के अनुपालन में विफल रहती है तो प्रचलित निधि के अधीन किसी अन्य के लिए इसके दायित्व के होते हुए भी अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा निर्धारित दंड की उत्तरदायी होगी:
परन्तु प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के कारण नवीकरणीय क्रय दायित्व के अनुपालन में वास्तविक कठिनाई के मामले में वचनबद्ध सत्ता अनुपालन अपेक्षा को अगले वर्ष ले जाने के लिए आयोग से संपर्क कर सकती है:
परन्तु जहां आयोग ने अनुपालन अपेक्षा को आगे ले जाने के लिए सहमति प्रदान की है वहां उपरोक्त विनियम 6.4 के उपबंध या अधिनियम की धारा 142 के उपबंध का अवलंबन नहीं लिया जाएगा।

8.0 प्रत्यायन हेतु योग्यता

8.1 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के उत्पादन में संलग्न उत्पादक कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रत्यायन हेतु आवेदन के लिए योग्य होगी:

ए. इसके पास राज्य नेटवर्क की संयोजिता है

बी. इसके पास, आयोग द्वारा निर्धारित अधिमानी शुल्क पर विद्युत विक्रय करने के लिए ऐसे उत्पादन से संबंधित क्षमता हेतु ऊर्जा क्रय करार नहीं है।

सी. यह (i) ऐसे वितरण अनुज्ञापी के ऊर्जा क्रय के एकत्रित मूल्य (पारेषण प्रभार छोड़कर) से कम पर, उस क्षेत्र, जिसमें योग्य सत्ता अवस्थित है, के वितरण अनुज्ञापी को, या (ii) किसी अन्य अनुज्ञापी को या परस्पर सहमत मूल्य पर एक उन्मुक्त अभिगमन वाले उपभोक्ता को या एक बाजार अवधारित मूल्य पर ऊर्जा विनिमय के माध्यम से उत्पादित विद्युत का विक्रय करती है, तथा

स्पष्टीकरणः इन विनियमों के उद्देश्य से, 'क्रयों की एकत्रित लागत' से वह औसत भारित एकत्रित मूल्य अभिप्रेत है जिस पर वितरण अनुज्ञापी ने दीर्घावधि तथा लघु अवधि, सभी ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से, किंतु उन्हें छोडकर जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हैं, पिछले वर्ष में स्वउत्पादन, यदि कुछ हों, की लागत सहित विद्युत क्रय की है।

डी. इसके पास ऊर्जा मीटरिंग तथा समय खण्डवार लेखाकरण करने के लिए अपेक्षित आवश्यक आधारित संरचना हो :

परन्तु राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा प्रमाणित रूप में वचनबद्ध सत्ता के नवीकरणीय कर दायित्व से अधिक इस के द्वारा क्रय की गयी नवीकरणीय ऊर्जा, संबंधित वचनबद्ध सत्ता तथा राज्य नोडल एजेन्सी को लिखित में ऐसे उत्पादकों का विकल्प दिये जाने पर, यथानुपात पर क्रयों की एकत्रित लागत पर नवीकरणीय उत्पादकों द्वारा आपूर्तित समझी जाएगी तथा ऐसे उत्पादक केवल ऐसे अधिक उत्पादन हेतु प्रत्यायन के लिए भी हकदार होंगे। राज्य नोडल एजेन्सी, सभी संबंधितों से आवश्यक डाटा प्राप्त कर प्रत्येक उत्पादक हेतु ऐसी यूनिट्स की मात्रा प्रमाणित करेगा। ऐसे उत्पादकों के पी पी एज भी तदनुसार आशोधित करने होंगे।

9.0 प्रत्यायन प्रदान करना

9.1 राज्य अभिकरण द्वारा रचित प्रक्रिया के अधीन, विनियम–8 के अंतर्गत उपबंधित योग्यता मानदण्ड पूरा करने वाली उत्पादक कंपनी राज्य सरकार से प्रत्यायन हेतु आवेदन कर सकेंगी :

परन्तु प्रत्यायन हेतु आवेदन में आवेदक की भौगोलिक अवस्थिति, मीटरिंग विवरण, अन्तःक्षेपण बिन्दु तथा जिसके लिए प्रत्यायन का आवेदन दिया है उसकी राज्य ग्रिड/नेटवर्क को अन्तःक्षेपित किये जाने वाली ऊर्जा की मात्रा भी सम्मिलित होंगे।

9.2 राज्य अभिकरण, संबंधित पारेषण अनुज्ञापी व/या वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर आवेदन संसाधित करेगा तथा पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर आवेदक को प्रत्यायन या अन्यथा प्रदान करेगा :

परन्तु आवेदक को उसका आवेदन खुद करने से पहले सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि यदि आवेदन निरस्त किया जाता है तो इस रद्दकरण को लिखित कर अभिलिखित किया जाएगा .

साथ ही यह भी कि यदि राज्य अभिकरण को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निदेशों के लिए आयोग से संपर्क कर सकता है।

9.3 कोई व्यक्ति, जो राज्य अभिकरण के निर्णय से व्यथित है तो निवारण हेतु वह ऐसे निर्णय के संप्रेषण की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर आयोग से संपर्क कर सकता है तथा आयोग जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है

9.4 प्रत्यायन, इसके प्रमाण पत्र की तिथि से पांच वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगा जब तक कि विनियम 11 के अधीन ऐसी मान्यता की समाप्ति से पूर्व इसे अन्यथा निरस्त न किया जाए।

9.5 प्रत्यायन प्रदान किये जाने से किसी आवेदक को राज्य ग्रिड/नेटवर्क को ऐसी ऊर्जा अन्तःक्षेपित करने का हक नहीं मिलेगा जब तक कि आवेदक या क्रेता, यथास्थिति, उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त नहीं कर लेता.

10.0 प्रत्यायन की अवधि के अनुवीक्षण

10.1 राज्य अभिकरण, संबंधित पारेषण अनुज्ञापी व/या वितरण अनुज्ञापी के साथ समन्वय कर प्रत्यायित परियोजनाओं का अनुवीक्षण करेगा, उत्पादक कंपनियों तथा वचनबद्ध सत्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के क्रय विक्रय का लेखा रख–रखाव करेगा तथा ऐसी प्रत्यायित परियोजनाओं के अनुवीक्षण हेतु प्रासंगिक अन्य कार्यों का जिम्मा लेगा:

परन्तु उत्पादक कम्पनी प्रत्यायन प्राप्त करने के पश्चात् प्रत्यायन तथा इससे जुड़े अन्य मामलों के संबंध में राज्य अभिकरण के पास वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जमा करेगी:

परन्तु आगे यह कि वर्तमान प्रत्यायन की मान्यता के विस्तार हेतु आवेदन, वर्तमान प्रत्यायन की मान्यता की समाप्ति से कम से कम नब्बे दिन पहले राज्य अभिकरण के पास किया जाएगा।

11.0 प्रत्यायन का प्रतिसंहरण

11.1 यदि राज्य अभिकरण, जांच करने के पश्चात् या केन्द्रीय अभिकरण की रिपोर्ट के आधार पर, इस बात से संतुष्ट है कि लोकहित के लिए यह आवश्यक है तो वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी के प्रत्यायन का प्रतिसंहरण कर सकता है जहां ऐसी कंपनी (ए) अपने प्रत्यायन के ऐसे निबंधनों व शर्तों को भंग करती है जो कि इस प्रत्यायन द्वारा अभिव्यक्त रूप से घोषित है तथा जिन्हें भंग करने से कंपनी प्रतिसंहरण की जिम्मेदार होती है, (बी) इन विनियमों के द्वारा अथवा अधीन अपेक्षित किसी कार्य में, राज्य अभिकरण की राय में, जानबूझकर निलंबित व्यतिक्रम करती है।

11.2 राज्य अभिकरण, उपरोक्त 11.1 विनियम के अधीन प्रत्यायन के प्रतिसंहरण से पूर्व ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी को सुनवाई के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

11.3 विनियम 11.1 एवं 11.2 के उपबंधों के होते हुए भी, आयोग यदि उचित समझे तो समय–समय पर राज्य अभिकरण को ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी के विरुद्ध जांच तथा/अथवा प्रतिसंहरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के निदेश दे सकता है।

11.4 राज्य अभिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, इस निर्णय के संप्रेषण की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर निवारण हेतु आयोग से संपर्क कर सकता है तथा आयोग जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा।

12.0 शुल्क एवं प्रभार

12.1 आयोग समय–समय पर, राज्य अभिकरण से इस संबंध में प्रस्ताव के आधार पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव से, आदेश द्वारा, वचनबद्ध सत्ताओं तथा/अथवा प्रत्यायन मान्यता व इससे जुडे अन्य मामलों के अनुरक्षण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा देय शुल्क एवं प्रभार अवधारित करेगा।

12.2 देय शुल्क तथा प्रभारों में, आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गये, इन विनियमों के अनुसार अप्रतिदेय आवेदन शुल्क एक बारीय प्रत्यायन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु अन्य प्रभार सम्मिलित होंगे।

12.3 वचनबद्ध सत्ताओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनियों द्वारा देय प्रभार राज्य अभिकरण द्वारा संग्रहित किये जाएंगे तथा इन विनियमों के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु उपयोग में लाए जाएंगे।

13.0 सूचना प्रणाली

13.1 राज्य अभिकरण, "आर ई परियोजनाओं का प्रत्यायन" शीर्षक से एक पृथक वेब पेज में अपनी वेबसाईट पर निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना देंगे :–

(ए) पंजीकरण/प्रत्यायन हेतु योग्य सत्ताओं द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया,

(बी) आवेदन की सूची, जिसमें अनुपालन की स्थिति तथा प्रत्यायन प्रदान करने की संभावित तिथि जैसे विवरण सम्मिलित हों,

(सी) प्रदान किये गये प्रत्यायन की सूची, निम्नलिखित इंगित करते हुए :–

(i) आर ई उत्पादक कंपनी/स्टेशन का नाम,

(ii) अन्तःक्षेपण का बिन्दु,

(iii) क्षमता (इन डब्ल्यू) जिसके लिए प्रत्यायन प्रदान किया गया है

(डी) आवेदनों की सूची जहां प्रत्यायन हेतु अनुमोदन नहीं गया है, इसका कारण बताते हुए,

(ई) आर पी ओ के संबंध में वचनबद्ध सत्ताओं द्वारा अनुपालन की स्थिति।

14.0 अनुपालन संपरीक्षक की नियुक्ति

14.1 आयोग, राज्य अभिकरण से परामर्श कर, पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले व्यक्तियों द्वारा इन विनियमों के अनुपालन पर या प्रमाण पत्रों की योग्यता तथा इससे जुड़े सभी मामलों के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा अनुपालन पर जांच करने तथा रिपोर्ट करने के लिए समय–समय पर अनुपालन संपरीक्षक नियुक्त करेगा।

14.2 अनुपालन संपरीक्षक समय–समय पर इन संपरीक्षकों को देय मानदेय तथा प्रभार तय करेगा तथा यह धनराशि, उस निधि में से पूरी की जाएगी जो राज्य अभिकरण योग्य सत्ताओं से संग्रहित करेगा।

15.0 निवारण क्रियाविधि

इन विनियमों से या इनके अधीन उठने वाले सभी विवाद, व्यथित व्यक्ति द्वारा इस निमित्त फाइल याचिका पर आयोग द्वारा निर्णीत किये जाएंगे।

16.0 निर्देश देने की शक्ति

आयोग समय–समय पर ऐसे निर्देश व आदेश जारी कर सकता है जो इन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों हेतु ऊर्जा में बाजार के विकास के लिए उपयुक्त समझे जाएं।

17.0 शिथिलीकरण की शक्ति

17.1 आयोग, अपने सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, कारण अभिलिखित कर तथा संभावित रूप से प्रभावित होने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या एक हित बद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष किये गये आवेदन पर किसी उपबंध की शिथिलता प्रदान कर सकता है।

18.0 प्रकीर्ण

18.1 इन विनियमों में कुछ भी ऐसे आदेश बनाने से आयोग की शक्ति को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा जो कि न्याय के उद्देश्य के लिए या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो।

18.2 यदि आयोग किसी मामले या मामले की श्रेणी की विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारण अभिलिखित कर ऐसे मामले या मामले की श्रेणी पर कार्यवाही आवश्यक तथा समीचीन समझता है तो इन विनियमों में कुछ भी आयोग के उपबंधों के अनुरूप प्रक्रिया, जो कि इन विनियमों के किसी उपबंध से भिन्न है, अपनाने से आयोग को बाधित नहीं करेगा।

अनुसूची

संपरीक्षकों की अर्हता

संपरीक्षक, एक व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की एक फर्म हो सकती है जिनके पास निम्नलिखित क्षेत्रों की योग्यता तथा अनुभव हो :–

ए. वित्त या लेखा का वाणिज्य, तथा

बी. विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण के साथ इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में योग्यता तथा ऐसा अनुभव जो कि विद्युत क्षेत्र, नियामक आयोग सहित अन्य संलिप्त संस्थाओं, यूटिलिटीज, सरकारी संस्थाओं, राज्य अभिकरणों तथा उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व की पर्याप्त समझ दर्शाता है।

आयोग के आदेश से,
ह0/–
पंकज प्रकाश
सचिव

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/275–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 जून, 2011 ई0 (ज्येष्ठ 28, 1933 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), चम्पावत

संशोधित अधिसूचना की सूचना

17 मार्च, 2011 ई0

पत्रांक 443 / स्था0नि0निर्वा0 / उप निर्वा0 / 2011–राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में जारी अधिसूचना सं0–1945 / रा0नि0आ0–3 / 1125 / 2010, देहरादून दिनांक 03–03–2011 में अपरिहार्य कारणों से मतदान की तिथि व समय एवं मतगणना की तिथि व समय में अपने फैक्स पत्र सं0 2046 / रा0नि0आ0–3 / 1125 / 2010, देहरादून, दिनांक 16–03–2011 द्वारा संशोधन किया गया है। उक्त संशोधित अधिसूचना के क्रम में, मैं, डा0 पंकज कुमार पाण्डे, जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), चम्पावत एतद्द्वारा 05–न्यू टाउन वार्ड के सदस्य नगर पालिका परिषद्, टनकपुर, के रिक्त पद का उप निर्वाचन की अधिसूचना की सूचना जो अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या 424 / स्था0नि0 / उप निर्वाचन / 2011, दिनांक 05 मार्च, 2011 द्वारा जारी किया गया है, को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूं :–

मतदान की संशोधित तिथि व समय	मतगणना की संशोधित तिथि व समय
06 अप्रैल, 2011 (प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक)	08 अप्रैल, 2011 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेन्ट रिटर्निंग ऑफिसर) उक्त संशोधित कार्यक्रम का अपने नगर पालिका परिषद् के सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाये तथा उसकी प्रतियां सम्बन्धित कार्यालय तथा निकाय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करायेंगे।

अधिसूचना की सूचना संख्या 425 / स्था0नि0 / उप निर्वाचन / 2011, दिनांक 05 मार्च, 2011 को उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी तथा अन्य समस्त कार्यवाही पूर्वतः यथावत् रहेगी।

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निकाय), चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर

सूचना

01 अप्रैल, 2011 ई0

पत्रांक 01/पंचा0चुना0/नि0/उप नि0/2011–12–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–2145/रा0नि0आ0अनु0–2/989/2009, दिनांक 30 मार्च, 2011 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के विभिन्न कारणों से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) सदस्य ग्राम पंचायत/प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो पर निर्वाचन/उप निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि तक उक्त प्रकार से रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन/उप निर्वाचन के लिए विनिर्दिष्ट समय–सारणी के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई हैं।

2–अतः उपरोक्त अधिसूचना के क्रम में जनपद–बागेश्वर के (विकास खण्डों) बागेश्वर, गरूड़, कपकोट में आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना जारी होने की तिथि तक रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत/प्रधान ग्राम पंचायत जिसका विशिष्ट विवरण (परिशिष्ट पताका "क") पर संलग्न है के अनुसार निर्वाचन/उप निर्वाचन कराये जाने के लिए, मैं, सी0 एस0 नपलच्याल, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बागेश्वर निम्नवत् समय–सारणी सूचित करता हूं :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
07–04–2011 एवं 08–04–2011 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक)	11–04–2011 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13–04–2011 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 13.00 बजे तक)	13–04–2011 (अपरान्ह 13.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24–04–2011 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से अपरान्ह 17.00 बजे तक)	27–04–2011 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

3–संबंधित निर्वाचन अधिकारी रिक्त पदों/स्थानों का विवरण देते हुए अपने स्तर से पूर्व सूचना निर्गत करेंगे और इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को तत्काल प्रेषित करेंगे तथा इस निर्वाचन/उप निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे और संबंधित ग्राम पंचायत में मुनादि द्वारा भी सर्वसाधारण को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से इसकी सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत कार्यालय/तहसील कार्यालय/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0)/मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों में इस कार्यक्रम को प्रकाशित करायेंगे।

4–उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947) यथासंशोधित अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश तथा उत्तराखण्ड [उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली, 1994] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावलियों के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा संबंधित क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

परिशिष्ट "क"

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	रिक्त पद/स्थान			पद/स्थान का रिक्ति का कारण	पद/स्थान की रिक्ति का दिनांक	पद/स्थान का आरक्षण
		ग्राम पंचायत का नाम	पद का नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या			
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	बागेश्वर	देवतोली	प्रधान, ग्राम पंचायत	देवतोली	मृत्यु होने से	20.11.2010	OBC
		धारी–II	सदस्य, ग्राम पंचायत	02	पद के सापेक्ष नामांकन न होने के कारण	पूर्व से	OBC
		पासदेव	सदस्य, ग्राम पंचायत	03	मृत्यु होने से	16.03.2011	SC
		खन्तोली	सदस्य, ग्राम पंचायत	01	मृत्यु होने से	14.03.2011	SCL
02.	कपकोट	गॉसी	सदस्य, ग्राम पंचायत	02	मृत्यु होने से	13.01.2011	UR
03.	गरूड	आगर मणतोली	प्रधान, ग्राम पंचायत	आगर मणतोली	मृत्यु होने से	27.01.2011	UR
		पाटली	प्रधान, ग्राम पंचायत	पाटली	त्याग पत्र देने के कारण	01.02.2011	L
		थापलबजवाड	सदस्य, ग्राम पंचायत	03	प्रधान पद पर निर्वाचित होने के कारण	22.12.2010	UR

सी0एस0 नपलच्याल,
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय पंचास्थानि चुनावालय, देहरादून

सूचना

06 मई, 2011 ई0

संख्या 69(1)/पंचा0उप0निर्वा0/2011–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या–169/रा0नि0आ0अनु0–2/989/2009, दिनांक 04–05–2011 के द्वारा उप प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त स्थानों पर निर्वाचन/उपनिर्वाचन कराये जाने हेतु कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।

अतः आयोग के उक्त अधिसूचना के क्रम में, मैं, सचिन कुर्वे, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), देहरादून एतद्द्वारा निर्देश देता हूं कि जनपद के उप प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त स्थानों पर निर्वाचन/उपनिर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार कराये जायेंगे :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
19–05–2011 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक)	19–05–2011 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिन के 12.00 बजे तक)	19–05–2011 (दिन के 12.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक)	19–05–2011 (अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक)	19–05–2011 (अपरान्ह 01.30 बजे से अपरान्ह 03.30 बजे तक)	19–05–2011 (अपरान्ह 04.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी। उप प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त स्थानों का विकास खण्डवार विवरण संलग्न है, जिनका निर्वाचन/उप निर्वाचन कराया जाना है।

त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद–देहरादून

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	पद का नाम	पद/स्थान का आरक्षण	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक	रिक्ति का दिनांक	रिक्ति का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
01	कालसी	उप प्रधान	–	चन्देउ	–	22–12–2010	प्रधान पद पर चुने जाने के कारण

सचिन कुर्वे,
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
पंचायत, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) पिथौरागढ़

(जनपद पिथौरागढ़ की ग्राम पंचायतों के उप प्रधान के रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन)

अधिसूचना

06 मई, 2011 ई0

संख्या 50 पं0नि0/उप प्रधान/उप निर्वाचन/2010–11–आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 169/रा0नि0आ0अनु0–2/989/2009, दिनांक 04–05–2011 के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ के उप प्रधान ग्राम पंचायत के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद–243 'ट' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, पिथौरागढ़ एतद्द्वारा निर्देश देता हूँ कि जनपद पिथौरागढ़ 2 विकास खण्डों की 2 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान ग्राम पंचायत, के रिक्त पदों पर जैसे नामांकन न होने के कारण अथवा त्यागपत्र व मृत्यु के कारण से इस अधिसूचना जारी होने की तिथि तक उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे :–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
19–05–2011 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से पूर्वान्ह 11.00 बजे तक)	19–05–2011 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से पूर्वान्ह 12.00 बजे तक)	19–05–2011 (दिन के 12.00 बजे से अपरान्ह 12.30 बजे तक)	19–05–2011 (अपरान्ह 12.30 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक)	19–05–2011 (अपरान्ह 01.30 बजे से अपरान्ह 03.30 बजे तक)	19–05–2011 (अपरान्ह 04.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

उप प्रधान के निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रियायें, नामांकन पत्रों की बिक्री, जमा कराना, जांच कराना, चिन्ह आवंटन, मतदान व मतगणना आदि सभी कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
जनपद–पिथौरागढ़।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/275–भाग 3–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुडकी।